16/10/25 वकील फरीकैन उप० । प्रा० पत्र० O22 R4, 9,10 CPC पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त० पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि दावा संख्या 47/14 उनवान मंदिर गोविन्द देवजी बनाम अमोलक चन्द वगैरह दिनांक 3/7/14 से न्यायाधीन है। उक्त दावे में एक प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा पेशकर निवेदन किया कि प्रतिवादी नेमीचंद की मृत्यु 3/7/2023 को हो चुकी है। जिस पर वादी अधिवक्ता ने जवाब तथा प्रा० पत्र O22 R4, 9,10 (b) CPC पेशकर निवेदन किया कि प्रतिवादी नेमीचंद की मृत्यु होने की जानकारी वादी को दिनांक 19/8/2025 को [illegible] को प्रा० पत्र हो चुकी है। इससे [illegible] नहीं थी। दोनों अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने बहस कर निवेदन किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.20 17:28:04 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म में जारी
	प्रतिवादी नेमीचंद के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जावे व डिले कन्डोन किया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी के मरने की कोई सूचना पूर्व में नहीं दी गई है प्रतिवादी की मृत्यु 2 वर्ष पूर्व में ही हो जाने के बावजूद सूचना नहीं देने के कारण ~~स्पष्ट~~ दावा एबेट किया जावे। साथ ही डिले के साथ कोई मृत्यु प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया है ना ही देरी का कारण स्पष्ट किया है। पक्षकारान की फौती सूचना देना वादी व वादी अधिवक्ता की जिम्मेदारी होती है जिसे वादी द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है। बहस पर मनन करने के पश्चात यह निष्कर्ष है कि वादी द्वारा प्रतिवादी की फौती सूचना तय समय में नहीं की गई है व डिले का कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया है। साथ ही उक्त वाद दिनांक 3/11/14 से लंबित है इस प्रकार उक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आदेश 022R4, 9, 10 (A) अन्तर्गत धारा 151 CPC के तहत खारिज किया जाता है। एवं वाद एबेट (अशमन) होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश उद्घोषित किया गया। हस्ता. उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2026.04.20 17:28:0
Reason: SelfAttested